

# राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर

सी-7, सुल्तान हाउस, सवाई जयसिंह हाईवे बनीपार्क, जयपुर-302016

फोन नम्बर 0141-4004914 Website:- www.rajasthanparamedicalcouncil.org

क्रमांक:- प. 13 ( )/काउ.(सत्र 2020-21)/रा.पै.मेडि.कौ/2021/100

दिनांक:- 24/09/21

प्रधानाचार्य,

संबद्ध समस्त पैरामेडिकल महाविद्यालय/संस्था,  
राजस्थान।

विषय:- सत्र 2020-21 की प्रथम काउन्सलिंग के अभ्यर्थियों की जोईनिंग हेतु दिशा-निर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सत्र 2020-21 के लिए विभिन्न पैरा मेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रथम काउन्सलिंग आयोजित की जा चुकी है। काउन्सलिंग द्वारा अभ्यर्थियों को उनकी पात्रतानुसार पाठ्यक्रम-महाविद्यालय आवंटित किये गये हैं। प्रथम काउन्सलिंग में चयनित सभी अभ्यर्थियों को दिनांक 06.10.2021 सांयकाल 05.00 बजे से पूर्व अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति आवंटित महाविद्यालय/संस्था में देनी है। निर्धारित समय तक उपस्थिति देने वाले अभ्यर्थियों को महाविद्यालय/संस्था में प्रवेश देने के लिए निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें:-

1. प्रवेश सूची में नाम एवं महाविद्यालय/संस्था में प्रवेश हेतु उपस्थिति देने वाले सभी अभ्यर्थियों की कक्षा-10 एवं 12 की मूल अंकतालिका प्राप्त कर 12वीं कक्षा के कुल प्राप्तांकों का मिलान प्रवेश सूची से दिये गये अंकों से करें।
2. मिलान के पश्चात् छायाप्रति रिकॉर्ड को महाविद्यालय की सील से प्रमाणित करते हुए अभ्यर्थी की 10वीं व 12वीं कक्षा की मूल अंकतालिका एवं प्रमाण-पत्र, प्रवास प्रमाण-पत्र (Migration Certificate), मूल निवास एवं जाति प्रमाण पत्र, राजकीय चिकित्सालय द्वारा जारी Medical Fitness Certificate व अन्य दस्तावेज जो अभ्यर्थी द्वारा ऑन लाईन आवेदन करते समय प्रस्तुत किये हों या अभ्यर्थी द्वारा संबंधित आरक्षित श्रेणी में आरक्षण का लाभ लिया गया हो जैसे EWS Certificate/P.H. Certificate/ WDP(Wards of Defense Personal) Certificate/ WPP(Wards of Para-military Personnel) Certificate/Widow/ Divorcee Certificate, जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये हो, के मूल दस्तावेज महाविद्यालय/संस्था अपने स्तर पर जमा कर कौंसिल द्वारा मांगे जाने पर मूल ही उपलब्ध करवायें। छात्रों को मूल दस्तावेज परीक्षा हेतु नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद लौटा दिये जायेंगे। अतः सभी अभ्यर्थियों को आगामी अन्य किसी आवश्यकता हेतु अपने मूल दस्तावेजों के आवश्यक मात्रा में फोटो प्रतियां करवा लेने हेतु निर्देशित एवं पाबन्द करें।
3. समस्त महाविद्यालय/संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि अभ्यर्थियों की उपस्थिति (Reporting) के समय वित्तीय वर्ष 2020-21 का EWS Certificate ही मान्य होगा, इससे पूर्व या इसके बाद का EWS Certificate मान्य नहीं होगा, साथ ही ओ.बी.सी. प्रमाण-पत्र जोईनिंग (Reporting) की दिनांक तक बना होने पर ही मान्य होगा।
4. अभ्यर्थी के द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के अलावा अन्य बोर्ड से 10वीं व 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होने पर उसका सत्यापन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर की समकक्षता निर्धारित करने संबंधी अनुदेशिका से मिलान करें। साथ ही संबंधित बोर्ड से अंक तालिका का प्रमाणीकरण भी करवाया जावे। महाविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अभ्यर्थी द्वारा उत्तीर्ण 12वीं परीक्षा का नाम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की उच्च माध्यमिक/हायर सैकण्डरी परीक्षा की समकक्षता सूची में अंकित नाम से अक्षरशः मिलान करता हो। परीक्षा के नाम में कोई भी अन्तर होने पर समकक्षता स्थापित नहीं होने के कारण अभ्यर्थी प्रवेश हेतु अपात्र होगा।

7. अभ्यर्थी की आयु दिनांक 31.12.2020 तक 17 वर्ष पूर्ण होनी अनिवार्य है।
8. संबंधित महाविद्यालय/संस्था द्वारा अभ्यर्थियों से निम्नानुसार शुल्क प्राप्त किये जायेगा:-
  - A. Tuition Fees - Rs. 35000 per year (Rs. 10000/- included in Tuition fee)
  - B. Caution money - Rs. 5000 (once in Course duration and refundable after completion of course)
  - C. Uniform Fee - Rs. 1500 (Once in Course duration)
9. महाविद्यालय/संस्था द्वारा संबंधित अभ्यर्थी को समस्त प्रकार की फीस जमा करवाये जाने पर तत्समय ही इसकी प्राप्ति रसीद जारी करनी होगी।
10. समस्त अभ्यर्थियों से किसी भी राजकीय चिकित्सालय से Medical Fitness Certificate प्राप्त कर इसे भी जॉइनिंग के समय संबंधित कॉलेज में प्राप्त किया जायेगा। संबंधित कॉलेज इस प्रमाण पत्र पर अंकित राजकीय चिकित्सालय का नाम, जारीकर्ता प्राधिकारी का नाम, डिस्पेच क्रमांक व दिनांक भली प्रकार जाँच लें।
11. यदि कोई अभ्यर्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी नहीं है, तो ऐसे समस्त प्रकरणों में उन्हें उनके राज्य के अधीन प्रदत्त आरक्षण का लाभ नहीं दिया जावेगा तथा उन्हें सामान्य श्रेणी में माना जाकर उसी अनुसार महाविद्यालय में सीटों का आवंटन किया जावेगा। अतः ऐसे समस्त अभ्यर्थियों के संबंध में संबंधित महाविद्यालय यह सुनिश्चित करें कि उन्हें आवंटित सीट अनारक्षित श्रेणी की है, किसी भी आरक्षित श्रेणी की नहीं है। यदि किसी अभ्यर्थी के राजस्थान के मूल निवासी नहीं होने के उपरान्त भी उनके द्वारा राजस्थान के मूल निवासी होना अंकित किया जाने के कारण या अन्य किसी तकनीकी त्रुटि के कारण उन्हें राजस्थान की आरक्षित श्रेणी में किसी सीट का आवंटन हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में उनका आवंटन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा तथा संबंधित महाविद्यालय द्वारा उनकी जॉइनिंग स्वीकार नहीं की जावेगी तथा ऐसे प्रकरणों की सूचना तुरन्त कौंसिल की ईमेल आईडी [rpmc.helpdesk@gmail.com](mailto:rpmc.helpdesk@gmail.com) पर प्रेषित करें। इस हेतु संबंधित महाविद्यालय अभ्यर्थियों की मूल निवास की गहनता से जाँच कर लें।
12. संबंधित महाविद्यालय उनके महाविद्यालय में आवंटित अभ्यर्थी के आवंटन पत्र पर Alloted category का मिलान उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये संबंधित प्रमाण-पत्र से करें। यदि अभ्यर्थी उस श्रेणी का नहीं है, जिसमें उसे सीट आवंटित हुई है, तो ऐसी स्थिति में उस अभ्यर्थी की जॉइनिंग स्वीकार नहीं की जावे तथा ऐसे समस्त प्रकरणों की भी सूचना कौंसिल उपर्युक्त वर्णित ईमेल के माध्यम से तुरन्त प्रेषित की जावे।
13. दिव्यांगजन (Physical Handicapped) श्रेणी के अभ्यर्थी के संबंध में कौंसिल द्वारा मेडिकल बोर्ड से परीक्षण उपरान्त पाठ्यक्रम हेतु योग्य पाये जाने के उपरान्त पृथक से जारी किये गये आवंटन पत्र के आधार पर ही संबंधित अभ्यर्थी को प्रवेश अनुमत किया जावे। ऐसे अभ्यर्थियों के प्रकरण में केवल मात्र Provisional Allotment Letter के माध्यम से प्रवेश किसी भी परिस्थिति में अनुमत नहीं किया जावे।
14. यदि किसी महाविद्यालय/संस्था द्वारा अभ्यर्थी की उपस्थिति (Reporting) किये जाने तथा फीस जमा कराये जाने के उपरान्त या अध्ययन के दौरान भी, किसी भी समय यह ज्ञात होने पर कि अभ्यर्थी निर्धारित न्यूनतम अर्हता धारित नहीं करता है अथवा उसकी अर्हक परीक्षा की समकक्षता माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर की परीक्षा के समकक्ष नहीं है तो ऐसे अभ्यर्थियों का प्रवेश उसी समय रद्द कर दिया जावेगा तथा इसके फलस्वरूप संबंधित महाविद्यालय/संस्था द्वारा प्राप्त की गई फीस को पुनःसंदाय (Refund) संबंधित अभ्यर्थी को किया जायेगा किन्तु अभ्यर्थी द्वारा तथ्य छिपाकर अथवा कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करता है तो ऐसी स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को फीस पुनःसंदाय(Refund) नहीं की जायेगी।
15. उपर्युक्तानुसार समस्त पैरा में अंकित दस्तावेज ओर उनकी प्रतिलिपियों की जांच संबंधित महाविद्यालय/संस्था द्वारा की जावेगी और उनकी सत्यता व प्रमाणिकता की संतुष्टि उपरांत ही अभ्यर्थी को प्रवेश अनुमत किया जावेगा। यदि किसी भी दस्तावेज में उपर्युक्त वर्णित शर्तों/पात्रता का उल्लंघन होने पर भी यदि संबंधित महाविद्यालय/संस्था द्वारा अभ्यर्थी को प्रवेश अनुमत किया जाता है तो अभ्यर्थी का आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा और राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा शास्ति (Panelty) के रूप में राशि रुपये 10,000/- (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) प्रति प्रकरण पर वसूल किये जायेंगे, तथा इस कारण इस सीट के रिक्त रहने की स्थिति की समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय/संस्था की होगी।

17. प्रथम काउन्सलिंग में प्रवेश हेतु चयनित अभ्यर्थियों के लिए महाविद्यालय/संस्था में प्रवेश लेने की अंतिम तिथि दिनांक 06.10.2021 सांयकाल 5.00 बजे तक आवश्यक रूप से उपस्थित होना होगा ताकि प्रवेश के अंतिम समय सांयकाल 7.00 बजे सॉफ्टवेयर के 'डिएक्टिवेट' (Deactivate) होने से पहले प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण हो सकें। दिनांक 06.10.2021 को सांयकाल 7 बजे सॉफ्टवेयर का प्रथम काउन्सलिंग प्रवेश लिंक स्वतः ही निष्क्रिय हो जायेगा तथा उसके बाद रिक्त रही सीटें द्वितीय काउन्सलिंग में आवंटित की जायेगी।

18. जिन अभ्यर्थियों को प्रथम काउन्सलिंग में कोई भी पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय आवंटित नहीं हुआ है या अपनी पसन्द का पाठ्यक्रम/महाविद्यालय आवंटित नहीं होने पर प्रवेश नहीं लेने का निर्णय लेने वाले अभ्यर्थी विकल्प प्रस्तुत कर द्वितीय काउन्सलिंग में शामिल हो सकेंगे।
19. प्रथम काउन्सलिंग के वे अभ्यर्थी जो निर्धारित उचित दस्तावेजों के अभाव में अथवा किन्हीं कारणवश निर्धारित तिथि तक प्रवेश नहीं ले पाते हैं उन्हें द्वितीय काउन्सलिंग में शामिल किया जायेगा तथा वे इस हेतु अपना विकल्प भर सकते हैं।
20. यदि कोई अभ्यर्थी गलत विवरण प्रस्तुत कर, तथ्य छुपाकर अथवा कूटरचित दस्तावेज के माध्यम से या अन्य किसी प्रकार से अयोग्य होने पर भी किसी भी कारणवश प्रवेश प्राप्त कर लेता है, तो ऐसे प्रकरणों में जानकारी में आने पर/लाये जाने पर, चाहे छात्र उस समय किसी भी कक्षा में अध्ययन कर रहा हो, उसका प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा। प्रवेश हेतु उपस्थिति (Reporting) के समय छात्र को इस सम्बन्ध में स्पष्ट रूप अवगत कराया जाये तथा संबंधित महाविद्यालय भी इस संबंध में पूर्ण सतर्कता रखें। ऐसे प्रकरणों में नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।
21. समस्त महाविद्यालय/संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि अभ्यर्थियों की उपस्थिति (Reporting) के समय प्रत्येक अभ्यर्थी के दस्तावेजों का गहनता से जांच कर पूर्ण संतुष्टि उपरान्त ही उपस्थिति (Reporting) करें। ऐसे नहीं करने पर इस संबंध में अभ्यर्थी को होने वाली किसी भी प्रकार की आर्थिक/मानसिक/समय की क्षति के लिए संबंधित महाविद्यालय/संस्था जिम्मेदार होंगे तथा इसमें राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ऐसे प्रकरणों में कोई भी अभ्यर्थी/अभिभावक किसी भी न्यायालय में राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल के विरुद्ध किसी भी अनुतोष के पात्र नहीं होंगे, किन्तु संबंधित महाविद्यालय/संस्थाओं के विरुद्ध यदि अभ्यर्थी चाहे तो नियमानुसार अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र होगा।

सॉफ्टवेयर पर अभ्यर्थियों के प्रवेश सम्बन्धी समस्त कार्यवाही के लिए दिनांक 18.09.2021 को प्रशिक्षण के समय उपलब्ध करवाये गये एवं पैरा मेडिकल काउन्सिल की वेबसाईट पर उपलब्ध 'उपयोगकर्ता निर्देश' (User Manual) का अच्छी तरह अध्ययन कर ले।

संलग्न:-

1. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर की समकक्षता निर्धारित करने संबंधी अनुदेशिका की प्रति
2. 'उपयोगकर्ता निर्देश' (User Manual)।

(डॉ. अनिल पालीवाल)

आर.ए.एस.

रजिस्ट्रार

क्रमांक:- प. 13 ( )/काउ.(सत्र 2020-21)/रा.पै.मेडि.कौ/2021/160

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है:-

1. अध्यक्ष, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
2. परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
3. सर्वररूम प्रभारी, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।

दिनांक:- 24/09/21